an>

Title: Regarding situation arising due to damage of Rabi crop and non-payment of arrears to the sugarcane growers in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस समय जब देश में किसानों के समक्ष तमाम कठिनाइयां हैं, चाहे वह बेमौसम बारिश हो या ओलावृष्टि हो या तूफान हो, उससे रबी की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। आज भी देश में 67 प्रतिशत किसान खेती पर ही आश्रित हैं। एक तरफ तो ऐसी विपदा आई है और दूसरी तरफ किसान कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इसके बावजूद देश के किसानों के पास एकमात्र नकदी फसल गन्ना है। गन्ने की फसल से, उसका भुगतान होने पर वह अपने बेटे की फीस देता है, बेटी के हाथ पीले करता है और बूढ़े माता-पिता का इलाज करता है। पिछली पिराई सत्र का देश के गन्ना किसानों का चीनी मिल्स पर 19,377 करोड़ रुपया बकाया है। स्वाभाविक है कि इंडियन शूगर कंट्रोल एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होगा, तो उन्हें दस प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। इसके बावजूद भी इस बार सर्वाधिक बकाया है। केवल उत्तर प्रदेश में जहां किसान की जीविका अकेले गन्ने की फसल के मूल्य पर निर्भर है, 9,715 करोड़ 69 लाख रुपया 31 मार्च तक बाकी है। जबकि केन्द्र सरकार ने कुछ सुविधा भी दी है और उसके तहत 4,000 रुपए प्रति टन की दर से 14 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात हेतु प्रोत्साहन और विपणन की स्कीम को इस साल भी लागू किया है। इसके बावजूद भी राज्य सरकारें गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं, चाहे कोआपरेटिव की चीनी मिल्स हों या फेडरेशन की चीनी मिल्स हों या निजी चीनी मिल्स हों। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता है तो उन चीनी मिल्स के खिलाफ आर.सी. जारी की जाएगी तथा जो उनके पास चीनी का स्टाक है, वह नीलाम करके प्राथमिकता के आधार पर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, कर्नाटक में भी यही हालत है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस बारे में तुरंत ध्यान देना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Choudhary, Shri Daddan Mishra, Shri Nishikant Dubey and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the matter raised by Shri Jagdambika Pal.